संख्या-13/2021/4591**/71-2-21-के0जी0एम0यू0-02/2017**

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक** 05 **फरवरी, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 **में के0जी0एम0यू0 उ0प्र0, लखनऊ ट्रामा सेन्टर के अंतर्गत** 02 **अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित हास्पिटल फर्नीचर, आफिस फर्नीचर, टेलीफोन कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं साउण्ड सिस्टम के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-11929/योजना अनु0/2020, दिनांक 06.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 **में के0जी0एम0यू0 उ0प्र0, लखनऊ ट्रामा सेन्टर के अंतर्गत** 02 **अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित हास्पिटल फर्नीचर, आफिस फर्नीचर, टेलीफोन कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं साउण्ड सिस्टम के क्रय किए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।**

2- **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर के अंतर्गत** 02 **अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-**30/2017/248/**71-2-**17**-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक** 23.03.2017 **के द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0** 2387.81 **लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।**

3- **प्रश्नगत प्रायोजना के प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन का मूल्यांकन रू0** 2387.81 **लाख करते हुए प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित हास्पिटल फर्नीचर, आफिस फर्नीचर, टेलीफोन कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं साउण्ड सिस्टम के क्रय किए जाने के संबंध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक** 24.06.2016 **में निर्देश दिए गए कि 'प्रायोजना में फर्नीचर, टेलीफोन, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं साउण्ड सिस्टम की आवश्यकता, औचित्य स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लेगी। समिति प्रायोजना में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत-फर्नीचर हेतु रू0** 432.99 **लाख, टेलीफोन कम्प्यूटर नेटवर्किंग हेतु रू0** 14.38 **लाख एवं साउण्ड सिस्टम हेतु रू0** 30.81 **लाख की सीमा के अन्तर्गत जो लागत संस्तुति करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।'**

4- **व्यय वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार दिए गए निर्देश के क्रम में प्रस्तावित कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण किए जाने हेतु प्रमुख सचिव (सम्प्रति अपर मुख्य सचिव) चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक** 04.02.2020 **(कार्यवृत्त संलग्न) को सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा उक्त बैठक में प्रस्तावित कार्यमदों की कुल लागत धनराशि रू0** 371.06558 **लाख मूल्यांकित की गयी।**

5- **अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर के ऊपर** 02 **अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजना के पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0** 2387.81

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

लाख एवं व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 371.06558 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की लागत रू0 2758.87558 लाख (सत्ताईस करोड अट्ठावन लाख सत्तासी हजार पॉच सौ अट्ठावन) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ हेतु '24-वृहद निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि से समिति द्वारा विभिन्न कार्यमदों हेतु मूल्यांकित कुल धनराशि रू0 371.06558 लाख (अनुदान संख्या 31 से रू0 307.03435 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 64.03123) अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यमदों के संबंध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं तकनीकी स्वीकृतियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।
2) प्रायोजना में उक्त प्रस्तावित मात्राओं की स्थापना समय से सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
3) जो आईटम जेम्स पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका प्रोक्योरमेंट जेम्स पोर्टल से किया जाय तथा जेम्स पोर्टल पर अनुपलब्ध कार्यमद/आईटम का क्रय-स्थापना नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा।
4) प्रश्नगत कार्यमदों के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (Gem) पोर्टल से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) प्रायोजना में प्रस्तावित किसी कार्य-मद की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/निर्माण एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था न तो वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
6) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।
7) प्र0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 (यथासंशोधित) में दी गयी अवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
9) धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।
10) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व प्र0वि0 संबंधित वित्त नियन्त्रक का होगा।

6- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- **प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि अनुदान संख्या**-31 **से रू**0 307.03435 **लाख चालू वित्तीय वर्ष** 2020-21 **के अनुदान संख्या**-31-**चिकित्सा विभाग** (**चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण**) **के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक** ''4210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**-03-**चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान**-105-**एलोपैथी**-06-**किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश**-24-**वृहत निर्माण कार्य**'' **के नामे डाला जायेगा।**

8- **प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू**0 64.03123 **लाख चालू वित्तीय वर्ष** 2020-21 **के आय-व्ययक के अनुदान संख्या**-083-**समाज कल्याण विभाग** (**अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना**) **के लेखाशीर्षक**-''4210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**-03-**चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान**-789-**अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना**-31-**के**0**जी**0**एम**0**यू**0, **लखनऊ**-24-**वृहत् निर्माण कार्य**'' **के नामे डाला जायेगा।**

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-127/**दस**-2021, **दिनांक** 25.01.2021 **में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।**

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-13/2021/4591(1)/71-2-21-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
2. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट लखनऊ।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
5. **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2**
6. **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।**
7. **महाप्रबन्धक/ प्रबन्ध निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।**
8. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename:	13
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	3/8/2021 4:09:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	3/8/2021 4:09:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	0 Minutes
Last Printed On:	3/8/2021 4:10:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	3
Number of Words:	1,167 (approx.)
Number of Characters:	6,656 (approx.)